



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062021-227946
CG-DL-E-28062021-227946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ़ 7, 1943

No. 178]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

मामला सं. (एसएसआर- 09/2021)

विषय : बंगलादेश तथा नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “जूट उत्पादों” के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत।

फा. सं. 7/9/2021-डीजीटीआर.—

1. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन [आईजेएमए] (जिसे यहां आगे “आवेदक” अथवा ‘आवेदक एसोसिएशन’ भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष बंगलादेश तथा नेपाल (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “जूट उत्पादों” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा विशेष रूप से “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उसने निर्णायक समीक्षा करने और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी के माध्यम से बंगलादेश तथा नेपाल से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच शुरू की गई थी। दिनांक 20.10.2016 की अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी और वह दिनांक 05.01.2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था तथा दिनांक 03.04.2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा आगे संशोधित किया गया था। तत्पश्चात, बंगलादेश से "जूट सैकिंग क्लॉथ" (जिसका अनंतिम उत्पाद "जूट सैकिंग बैग" है) के आयातों से संबंधित एक परिवंचना रोधी जाँच दिनांक 20.03.2018 की अधिसूचना सं. 7/3/2018-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं. 7/3/2018-डीजीएडी के माध्यम से उक्त अधिसूचनाओं द्वारा सैकिंग बैग पर लगाये गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने की सिफारिश की थी और यह शुल्क दिनांक 18.06.2019 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 24/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार माना गया था :

"26. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है, जिनमें जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड और सिंगल) हेसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग शामिल हैं जैसा कि दिनांक 21.05.2015 की जाँच शुरूआत अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी में उल्लिखित है।"

5. प्राधिकारी ने बाद में परिवंचना रोधी जाँच में उत्पाद के दायरे में "जूट सैकिंग क्लॉथ" को शामिल किया जैसा कि दिनांक 20.03.2018 की जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 7/3/2018-डीजीएडी में उल्लिखित है।
6. तदनुसार, दिनांक 21.05.2015 तथा 20.03.2018 की अधिसूचना के मद्देनजर वर्तमान निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जाँच में उत्पाद के दायरे पर *"जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड तथा सिंगल) हेसियन फैब्रिक्स, जूट सैकिंग क्लॉथ तथा जूट सैकिंग बैग्स"* के रूप में विचार किया गया है।
7. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा कि मूल जाँच में परिभाषित है और परिवंचना-रोधी जाँच में संशोधित किया गया है।

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु एक समान हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आवेदक कंपनियों और विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मै. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) द्वारा दायर किया गया है। मै. बॉवरेह जूट मिल्स प्राइवेट लि., मै. केलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लि., मै. चेवोइट कंपनी लि., मै. ग्लोस्टर लि., मै. हुगली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. तथा मै. लूडलो जूट एंड स्पेशियलिटीज लि. (जिसे यहां आगे "आवेदक कंपनियां" भी कहा गया है) ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है।

10. मै. एलाइंस मिल्स (लेससीज) लि., बेल्ली जूट कंपनी लि., बज बज कं. लि., महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लि., आरडीबी टेक्सटाइल्स लि., शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लि., जगतदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लि., कामराहट्टी कं. लि., दि नैहाटी जूट मिल्स कं. लि., रिलाइंस जूट मिल्स (इंटरनेशनल) लि., आदित्या ट्रांसलिक प्रा. लि., अंबिका जूट मिल्स, एंगलो इंडिया जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ऑकलैंड इंटरनेशनल लि., दि अंगुश कंपनी लि., बरनागोर जूट फैक्ट्री पीएलसी, बिरला कॉर्पोरेशन लि., डलहौजी जूट कंपनी, डेल्टा लिमिटेड, दि एम्पायर जूट कंपनी लि., दि गंगेज मैनुफैक्चरिंग कं. लि., दि हुगली मिल्स कंपनी लि., विजय श्री प्रा. लि., कलकत्ता जूट मैनुफैक्चरिंग कं. लि., श्री गौरी शंकर जूट मिल्स लि., कनकनाराह कंपनी लि., नॉर्थब्रुक जूट कंपनी लि., आर डी बी टेक्सटाइल लि., शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लि., सनबीम वाणिज्य प्रा. लि., अगरपारा जूट मिल्स लि., टेपकोन इंटरनेशनल (इंडिया) लि., तथा ट्रेड व्यापार लि., ने आवेदन का समर्थन किया है।
11. आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं। यद्यपि मै. चेविओट कंपनी लि. ने बंगलादेश से जूट यार्न का आयात किया है। तथापि वह उनकी एसईजेड इकाई के लिए है।
12. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

i. बंगलादेश के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने बंगलादेश में सामान्य मूल्य का दावा उत्पाद के विभिन्न प्रकारों के लिए अलग-अलग उत्पाद की कीमतों के आधार पर किया है। आवेदक ने शामिल उत्पाद किस्म, दी गई कीमत, बिक्री के निबंधन और शर्तें तथा प्रस्तावित कीमतों की प्रकृति को अभिज्ञात किया है। इस दावे को जाँच शुरूआत के लिए प्रथम दृष्टया उचित पाया गया है।

ii. नेपाल के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि नेपाल के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत या नेपाल से तीसरे देश को कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किये गए थे जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं। किसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव में, आवेदक ने नेपाल में सामान्य मूल्य का दावा उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए नेपाल में उत्पादन लागत के आधार पर किया है। इस दावे को वर्तमान प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया उचित पाया गया है।

iii. निर्यात कीमत

15. निर्यात कीमत का परिकलन डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आकड़ों से उपलब्ध सूचना के अनुसार किया गया है। चूंकि यह सीआईएफ निर्यात कीमत है इसलिए कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए मालभाडे, बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय, और कमीशन के लिए समायोजन किये गए हैं।

iv. पाटन मार्जिन

16. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। जो बंगलादेश के मामले में न्यूनतम सीमा से अधिक है किंतु नेपाल के मामले में न्यूनतम सीमा से कम है। वर्तमान में औसत आधार पर की गई तुलनाएं इस उत्पाद में शामिल विभिन्न उत्पाद कोड संख्याओं के कारण वास्तविक नहीं हैं। चूंकि भारत, बंगलादेश और नेपाल दोनों के लिए एक बड़ा बाजार है इसलिए संबद्ध देशों की जाँच के दौरान पाटन की संभावना की जाँच उत्पाद कोड संख्या आधार पर भी की जाएगी।

च. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

17. आवेदक ने दावा किया गया है कि यद्यपि उसके कार्यनिष्पादन में आगे गिरावट नहीं आई है और एडीडी ने उसकी क्षति को सीमित रखा है तथापि वह पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारी क्षति के प्रति संवेदनशील है। बंगलादेश के मामले में आवेदक का दावा शुल्को के लागू होने के बावजूद भारी मात्रा में आयात, बंगलादेश में उत्पाद

के उत्पादकों की भारी संख्या की मौजूदगी, इस समय सीमित संख्या में निर्यातकों द्वारा निर्यात (मौजूदा एडीडी के कारण), मौजूदा शुल्कों के कारण इस समय निर्यात नहीं कर रहे अनेक अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यातों की आशंका, एडीडी लागू होने के बाद उत्पाद में थोड़े से बदलाव करके भारत को निर्यात, बंगलादेश में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताओं, बंगलादेश में कच्चे जूट की प्रचुरता, स्थिर मांग के बावजूद भविष्य में उत्पादन में संभावित वृद्धि, एडीडी की समाप्ति की स्थिति में सकारात्मक कीमत कटौती, निर्यात बढ़ाने के बंगलादेश सरकार के प्रयास, घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, संशोधन प्रणाली पर निर्यात लाभ दर के प्रयोग के जरिए निरंतर निर्यात का पूर्व इतिहास पर आधारित हैं। नेपाल के मामले में, आवेदक का दावा इस तथ्य पर आधारित है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जिससे नेपाल के उत्पादक इस पर काफी हद तक निर्भर हैं। नेपाल से निर्यात भी सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाते हैं। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना को सिद्ध करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हो जाने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. संबद्ध देश

19. वर्तमान जांच में संबद्ध देश बंगलादेश और नेपाल हैं।

छ. जांच की अवधि

20. आवेदक ने अप्रैल-दिसंबर 2020 (9 माह) के जांच की अवधि (पीओआई) होने का दावा किया है। तथापि प्रस्तावित जाँच के प्रयोजनार्थ अप्रैल 2020 - मार्च 2021 की जाँच अवधि निर्धारित करना उचित समझा गया है। क्षति जाँच अवधि में तीन पूर्ववर्ती वर्ष 2017 – 18, 2018 – 19, 2019 – 20 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ज. प्रक्रिया

21. इस समीक्षा जाँच में दिनांक 20.10.2016 की अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी तथा दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं. 7/3/2018-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जाँच परिणामों जिनमें बंगलादेश तथा नेपाल से “जूट उत्पादों” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे।
22. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

23. प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जाँचों अर्थात् मूल, परिवर्चना-रोधी को ध्यान में रखा है और विभिन्न न्यू शिपर समीक्षाओं में आने वाले मुद्दों में पाटन और परिणामी क्षति के मूल्यांकन की उचित तुलना के लिए इस जाँच में उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) को अपनाने के सभी हितबद्ध पक्षों के विचारों को जानना चाहते हैं। यह सूचना राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, vikasmathur.icoas@nic.in तथा dd11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए।
24. प्राधिकारी वर्तमान जाँच में उत्पादकों/निर्यातकों के प्रतिदर्श भी ले सकते हैं।

25. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, vikasmathur.icoas@nic.in तथा dd11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
26. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके उच्चायोगों/दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर उपर्युक्त पैराग्राफ 23 में यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराये जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय-सीमा

29. पीसीएन को अंतिम रूप देने के बाद, प्राधिकारी वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, vikasmathur.icoas@nic.in तथा dd11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप में मंगाएंगे। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
33. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
34. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
35. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश

संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

36. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
37. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
38. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

ण. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2021

Case No. (SSR - 09/2021)

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of “Jute Products” originating in or exported from Bangladesh and Nepal.

F. No. 7/9/2021-DGTR.—

1. Indian Jute Mills Association [IJMA] (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or ‘applicant association’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”) for Sunset Review Investigation concerning imports of “Jute Products” (hereinafter referred to as “subject goods” or specifically as “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the Domestic Industry and have requested for sunset review and continuation of the Anti-dumping duty.

A. Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Bangladesh and Nepal was initiated by the Authority vide Notification No. 14/19/2015-DGAD, dated 21.10.2015. Definitive Anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 14/19/2015-DGAD, dated 20.10.2016 and was imposed vide Customs Notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated 05.01.2017, and amended further by Customs Notification No. 11/2017-Customs (ADD), dated 03.04.2017. Subsequently, an anti-circumvention investigation was initiated vide Notification No. 7/3/2018-DGAD, dated 20.03.2018 concerning imports of 'Jute Sacking Cloth', (a penultimate stage of "Jute Sacking Bag") from Bangladesh. The authority vide Notification No. 7/3/2018-DGAD, dated 19.03.2019 recommended extension of the existing anti-dumping duty imposed on Sacking Bags vide the above notifications, and was imposed vide Customs Notification No.24/2019-Customs (ADD), dated 18.06.2019.

B. Produce Under Consideration

4. The product under consideration in the original investigation was considered as:

"26. The product under consideration in the present investigation is "Jute Products" comprising of Jute Yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags as mentioned in the initiation notification No. 14/19/2015-DGAD dated 21.05.2015."

5. The Authority subsequently in an anti-circumvention investigation included "Jute sacking cloth" in the product scope as mentioned in Initiation Notification No. 7/3/2018-DGAD dated 20.03.2018 –
6. Accordingly, keeping in view the notification dated 21.05.2015 and 20.03.2018 the product scope in the present sunset review (SSR) investigation is considered as *"Jute Yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics, Jute Sacking cloth and Jute Sacking bags"*.
7. As, the present investigation is a Sunset Review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original investigation and as modified in the anti-circumvention investigation.

C. Like article

8. The applicant has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the goods imported from subject countries. The applicant has further claimed that there is no difference in the technology and production process employed by the applicant companies and foreign producers. The goods supplied by the domestic industry are comparable to the goods imported from subject countries in terms of characteristics such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. The subject goods produced by the applicant companies are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Domestic Industry and Standing

9. The application has been filed by Indian Jute Mills Association (IJMA). M/s Bowreah Jute Mills Pvt. Ltd., M/s Caledonian Jute & Industries Ltd., M/s Cheviot Company Ltd., M/s Gloster Ltd., M/s Hoogly Infrastructure Pvt. Ltd., and M/s Ludlow Jute & Specialties Ltd. (referred to as "applicant companies" herein) have provided requisite information for the purpose of the present investigations.
10. The application has been supported by Alliance Mills (Lessees) Ltd., Bally Jute Company Ltd., Budge Budge Co. Ltd., Mahadeo Jute & Industries Ltd., RDB Textiles Ltd., Shaktigarh Textile and Industries Ltd., Jagatdal Jute & Industries Ltd., Kamarhatty Co. Ltd., The Naihati Jute Mills Co. Ltd., Reliance Jute Mills (International) Ltd., Aditya Translink Pvt. Ltd., Ambica Jute Mills, Anglo India Jute & Textile Industries Pvt. Ltd., Auckland International Ltd., The Angus Company Ltd., Barnagore Jute Factory Plc., Birla Corporation Ltd., Dalhousie Jute Company, Delta Limited, The Empire Jute Company Ltd., The Ganges Manufacturing Co., Ltd., The Hooghly Mills Company Ltd., Vijai Shree Pvt. Ltd., Calcutta Jute Manufacturing Co. Ltd., Shree Gouri Shankar Jute Mills Ltd., Kanknarrah Company Ltd., Northbrook Jute Company Ltd., RDB Textiles Ltd., Shaktigarh Textile and Industries Ltd., Sunbeam Vanijya Pvt. Ltd., Agarpara Jute Mills Ltd., Tepcon International (India) Ltd., and Trend Vyapaar Ltd.

11. The applicants have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the Product under Consideration in India. While M/s Cheviot Company Ltd. has imported Jute yarn from Bangladesh. However, the same is for their SEZ unit.
12. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant companies constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing.

E. Likelihood of Continuation or recurrence of Dumping

i. Normal Value for Bangladesh

13. The Applicant has claimed normal value in Bangladesh on the basis of price offers for the product, separately for different types of the product. The applicant has identified the product type involved, the price offered, terms & conditions of sale, and the nature of the price offers made. The claim is *prima facie* found appropriate for the purpose of initiation.

ii. Normal Value for Nepal

14. The Applicant has claimed that efforts were made to get evidence of price of the product concerned in the domestic market of Nepal or an evidence of price from Nepal to third country which is not available in public domain. In the absence of any publicly available information, the applicant has claimed normal value in Nepal on the basis of cost of production in Nepal, considering facts available. The claim is found *prima facie* appropriate for the present purpose.

iii. Export Price

15. Export price has been computed as per the information available from the DGCI&S transaction wise data. Since these are CIF export price, adjustments have been made for freight, insurance, port expenses, bank charges, inland freight expenses, and commission, to arrive at ex-factory export price.

iv. Dumping Margin

16. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined. Which in case of Bangladesh is above *de minimis* but below *de minimis* in case of Nepal. The comparisons done presently on an average basis are not realistic due to various product code numbers involved in the product. India being a significant market for both Bangladesh and Nepal, the likelihood of dumping would also be undertaken on product code number basis during the investigation for the subject countries.

F. Likelihood of continuation or recurrence of Injury

17. The Applicant has claimed that while its performance has not further deteriorated and ADD in force has contained its injury, it remains vulnerable to an intensified injury in the event of cessation of antidumping duty. The claim of the applicant in case of Bangladesh is based on significant volume of imports despite imposition of duties, existence of a large number of producers of the product in Bangladesh, exports to India at present by a limited number of exporters (because of existing ADD), likelihood of exports by a number of other exporters who are not exporting at present due to existing duties, exports to India by minor alteration to the product after imposition of ADD, surplus capacities with producers in Bangladesh, abundance of raw jute in Bangladesh, potential increase in production in future despite stable demand, positive price undercutting in the event of cessation of ADD, efforts of Bangladesh Government to enhance exports, vulnerability of the Domestic Industry, price attractiveness of the Indian market, past history of persistent exports through use of export benefits rate modification system. In case of Nepal, the claim of the applicant is based on the fact that India is an extremely significant market, making Nepalese producers highly dependent on it. The imports from Nepal also depict, positive price undercutting. There is thus *prima facie* evidence of likelihood of dumping from subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duty.

G. Initiation of Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied. on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority hereby initiates sunset review investigation to

review the need for continued imposition of the duties in force in respect of subject goods, originating in or exported from the subject countries and to determine whether expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

H. Subject Countries

19. The subject countries in the present investigation are Bangladesh and Nepal.

I. Period of Investigation

20. The applicant has claimed April–December 2020 (9 Months) as period of investigation (POI). However, it is considered appropriate to fix April, 2020 – March, 2021 as the investigation period for the purpose of the proposed investigation. The injury investigation period will cover the three preceding years 2017 – 18, 2018 – 19, 2019 – 20 and the POI.

J. Procedure

21. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/19/2015-DGAD, dated 20.10.2016 and Notification No. 7/3/2018-DGAD, dated 19.03.2019 recommending imposition of Anti-dumping duty on imports of 'Jute Products' from Bangladesh and Nepal.

22. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. Submission of information

23. The Authority keeping in view the earlier investigation viz original, anti-circumvention and issues emanating in the various new shipper reviews solicits views of all interested parties on adopting product control numbers (PCN's) in this investigation for appropriate comparisons to evaluate incidence of dumping and consequential injury. The information should be filed to adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, vikasmathur.icoas@nic.in and dd11-dgtr@gov.in within 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette.

24. The Authority may also resort to sampling of producers/exporters in the instant investigation.

25. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, vikasmathur.icoas@nic.in and dd11-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

26. The known exporters, Governments of subject countries through their High Commission/Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 23 above.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

28. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time-Limit

29. After finalisation of the PCN's, the Authority would call for information relating to the present investigation which should be sent in writing so as to reach the Authority at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, vikasmathur.icoas@nic.in and dd11-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

31. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
32. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
33. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
34. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
35. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

39. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to share the non-confidential versions of their submissions with all interested parties via e-mail since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

O. Non-cooperation

40. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority